

कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना श्याम नगर जयपुर

क्रमांक:-

दिनांक 22.09.18

श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त

सोडाला जयपुर दक्षिण

विषय:- परिवाद 181 के सम्बन्ध मे ।

महोदय,

वाक्यात मुकदमा हाजा हालात इस प्रकार से निवेदन है कि दिनांक 21.06.2018 को मुस्तगीस श्री सुनील कुमार सिंह पुत्र श्री श्रृद्धानन्द (श्रृधा) जाति -राजपूत, उम्र -46 साल निवासी मकान नंबर 201 पद्मावती कॉलोनी-ए, पुलिस थाना श्याम नगर जयपुर ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मैं सपरिवार दिनांक 10-06-18 से 20-06- 18 तक एलटीसी पर सिंगापुर एवं मलेशिया घूमने हेतु गया था। जब दिनांक 20 -06- 18 को सांय 8:00 बजे घर लौट कर आया तो पता चला कि गेट का ताला टूटा हुआ है और घर में चोरी हो गई है। जांच के उपरांत पता चला कि निम्नांकित सामान चोरी गया है:- मंगलसूत्र - एक, कान का झुमका -तीन सेट, कान की बाली -1 सेट, अंगुठी -3, लोकेट -1 , पायजेब-1, सोनी हैंडीकैम-1, लेडीज पर्स 8,000 रूपये के साथ, ATM कार्ड -दो , चांदी के सिक्के -10 ग्राम के 8, चांदी का सिक्का -100 ग्राम का-1 , मुझे ऐसा लगता है कि ये चोरी अज्ञात मुलजिमानो ने रात्रि के अंदर ही की है। आदि रिपोर्ट पर थाना हाजा पर अभियोग संख्या 284/2018 धारा 457,380 IPC में कायम कर अनुसंधान श्री रामपाल उ०नि० के जुम्मे किया गया।

दौराने अनुसंधान मुकदमा मुस्तगीस श्री सुनील कुमार सिंह व परिवादी की पत्नी श्रीमति मुन्नी सिंह के धारा 161जा०फौ० के तहत बयान लिये जाकर शामिल मुकदमा पत्रावली किये गये व मुस्तगीस की निशादेही पर मुकदमा हाजा के घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका घटनास्थल फर्द पर कसीद किया गया। मुकदमा हाजा में माल मुल्जिमान की तलाश बाबत समस्त थानाजात को जरिये ईमेल मुश्तहरी जारी की गई। प्रकरण हाजा में एम०ओ०बी० राय ली गई। मुकदमा हाजा मे माल व मुल्जीमान की तलाश करवाने बाबत मुखबीर खास मामुर किया गया तथा थाना हाजा के मुलाजमानों को मुकदमा हाजा के माल मुल्जिमान की तलाश की हिदायत दी गई। ईलाका थाना क्षेत्र मे व जयपुर शहर में बार-बार जाकर माल व मुल्जीमान के हर सम्भव प्रयास कर तलाश की गई व संदिग्ध व्यक्तियों व पूर्व के चोरी व नकबजनी के प्रकरणो मे चालानशुदा अपराधियो विश्वजीत बर्मन, सोनू हरिजन व थाना हाजा के मु०न० 401/18 धारा 382 आई पी सी में गिरफ्तारशुदा मुल्जिम रवि सैनी, किशोर सुरेन्द्र नन्दी, मु०न० 399/18 धारा 457, 380 आई पी सी में गिरफ्तार शुदा मुल्जिम लालचन्द, मिनाज, तैयब व मु०न० 407/18 धारा 382 आई पी सी में गिरफ्तार शुदा मुल्जिम विनय यादव से पुछताछ कर तफतीश की गई व पुछताछ नोट मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किये गये। मुकदमा हाजा में काफी प्रयास व तलाश के बावजूद भी माल मुल्जिमान की अदम पतारसी रही। मुकदमा हाजा को थाना हाजा पर दर्ज हुये अब काफी समय गुजर चुका है निकट भविष्य मे माल मुल्जिमान की पतारसी चलने की कोई उम्मीद नजर नही आती है ऐसी सुरत मे मुकदमा को अब और अधिक समय तक पैण्डिंग रखना उचित प्रतीत नही होता है। मुकदमा के माल व मुल्जिमान की थाना हाजा पर दर्ज अन्य चोरी ,नकबजनी सम्बन्धी चोरी के मुकदमात के साथ साथ तलाश जारी रखी जावेगी।

अतः मुकदमा हाजा मे एफ आर नम्बर 184/2018 दिनांक 31.08.2018 मे कित्ता की जाकर माननीय न्यायालय मे पेश की जा रही है ।

रिपोर्ट श्रीमान की सेवामे पेश है

थानाधिकारी

पुलिस थाना श्याम नगर

जयपुर दक्षिण